तत्कालीन अधिकारी:– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

अपील सं. 35/2017

अपीलान्ट्स:–

1 रामदेव पुत्र सहीराम जाति जाट सा0 खिनानिया तह0 टिब्बी।

2 राममूर्ति पुत्र सहीराम जाति जाट सा0 खिनानिया तह0 टिब्बी।

अपीलांटस

बनाम

1 स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी।
2 भारतीय स्टेट बैंक शाखा भूकरका जरिये प्रबंधक।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 283 दिनांक 06.2.12 ।

उपस्थित:– 1 श्री राजेन्द्र सिंह मोटयार अभिभाषक अपीलांटस ।

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.01.2018

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने फरवरी 2012 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भूकरका से किसान ऋण सुविधा के तहत अपनी कृषि भूमि पर चल रहे ऋण की सीमा में परिवर्तन करते हुए ऋण का पुनः नवीनीकरण करवाया जिसके तहत अपीलांटस ने अपने हिस्से की 1.454 है0 प्रत्येक ने बैंक के पक्ष में रहन रखी। अपीलार्थीगण ने जुलाई 2017 में अपनी कृषि भूमि रहन मुक्त करवाने हेतु बैंक का नोडयूज पटवारी के पास लेकर गया तो पता चला कि तत्कालीन पटवारी ने समस्त हिस्से को बैंक के पक्ष में दर्ज कर रहन मुक्त करवाये। प्रत्येक अपीलार्थीगण ने 1.454 है0 हिस्सा भूमि को बैंक के पक्ष में रहन किया था परन्तु लिपकीय त्रुटिवश प्रत्येक की 1.518 है0 भूमि को बैंक के पक्ष में रहन का अंकन करवाया है जो विधि विरूद्ध है। वर्तमान में अपीलार्थीगण ने समस्त ऋण चुकता कर दिया है। परन्तु रिकार्ड प्रत्येक का 1.518 है0 बैंक के रहन है। जो कि गलत है। बैंक ने भी रहन भूमि पर ऋण चुकता का लिख कर दे दिया है। इसलिए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त कर भूमि को रहन मुक्त करने का आदेश पारित किया जावे।

अपील पेश होने दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलाधीन रिकार्ड व रेस्पो0 2 का जबाब लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राममूर्ति के हक में चक 22 केएनएन में विभाजन से पूर्व 1.454 है0 भूमि थी जिसको बैंक के रहन किया था परन्तु रहन के दौरान पक्षकारों के मध्य विभाजन होने के

कारण प्रार्थी के पास चक 18 केएनएन में प्रार्थी का हिस्सा कम करते हुए 22 केएनएन में प्रार्थी को ज्यादा हिस्सा आया इसलिए बैंक द्वारा बंधक की गयी भूमि को रहन मुक्त कर दिया परन्तु इस खाते में अतिरिक्त भूमि जो बंटवारे में प्रार्थी को मिली उससे रहन नहीं हटाया गया। इसी प्रकार रामदेव का रहन नहीं हटाया गया। बैंक द्वारा समस्त हिस्सा जो कि ऋण के समय स्थिति थी के अनुसार रहन मुक्त कर दिया है। विभाजन होने के बाद बैंक रहन की स्थिति में परिवर्तन आ गया । इसलिए पूर्व में रहन दर्ज करने वाले इन्तकाल 283 को निरस्त कर भूमि को रहन फक करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। अपीलांटस द्वारा बैंक से चक 22 केएनएन के संयुक्त की भूमि में से प्रत्येक अपीलांट ने 1.454 है0 भूमि को रहन रखा था इसी भूमि का बैंक द्वारा रहन मुक्ति का पत्र भी जारी कर दिया है। परन्तु जब अपीलांटस ने बैंक से ऋण लिया उस समय प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता में थी परन्तु विभाजन के बाद प्रत्येक अपीलांटस को चक 22 केएनएन में 1.518 है0 भूमि मिली। जबकि इनका 1.454 है0 पर बैंक ऋण था। इस प्रकार अपीलाधीन इन्तकाल में कुल भूमि पर बैक ऋण दर्ज हो गया। जबकि रहन मुक्ति इन्तकाल में प्रत्येक का 1.454है0 रहन मुक्त किया गया हैं। अपीलाधीन इन्तकाल में कुल भूमि 2.783 है0 ही है उसमें से रामदेव राममूर्तिका 1/2 हिस्सा रहन दर्ज किया है। परन्तु विभाजन के बाद स्थिति परिवर्तित हुई। अतः अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल चक 22 केएनएन सं0 283 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बैंक से ऋण प्राप्त करते समय अपीलांटस द्वारा कितनी भूमि बैंक के रहन रखी व खाता विभाजन के बाद परिवर्तित स्थिति के अनुसार रहन का अंकन किस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया व बैंक के रहन रखी गयी भूमि के रहन मुक्ति प्रमाण पत्र में कितनी भूमि थी। इन बिन्दुओं पर पूर्ण जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अपीलाधीन रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official